न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी:—केदार सिंह पुत्र रामपाल सिंह जाति जाट व अन्य नि0 ठींगला,तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर वगै.

किस्म प्रकरण— मुन्तकिली प्रार्थना पत्र

जीसीएमएस संख्या:— 2023/94

प्रकरण संख्या 16/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
01.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अब नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर का अतिरिक्त कार्यभार उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पास ना होकर सचिव नगर विकास न्यास ,स0मा0 के पास है इसलिए अब मुझे न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी से न्याय की पूर्ण उम्मीद है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण दिगर न्यायालय मे मुन्तकिल नही करवाना चाहता हूँ इसलिए इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहता हूँ, एवं उक्त मुन्तकिली प्रार्थना को नोट प्रेस मे खारिज करवाने बाबत आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित करते हुए प्रकरण को खारिज करवाने बाबत निवदेन किया। अत: वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र नोट प्रेस मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया । Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.09.24 13:06:46 IST Reason: SelfAttested (डॉ० [illegible]) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner